प्रकरण संख्या 17/2023 अर्जुन बनाम श्रीमती राजेन्द्र कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डावाडा, तहसील देवगढ़ में प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे की आराजी नंबर 983, 984, 985 कुल किता 3 रकबा 4.0100 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के पास ही विपक्षी संख्या 1 से 10 की आराजी नंबर 1111 व विपक्षी संख्या 11 की आराजी नंबर 1113 तथा विपक्षी संख्या 12 की आराजी नंबर 1120/1177 स्थित है, जिससे होकर प्रार्थीया अपने खेतों पर आती–जाती व टैक्टर आदि लाती ले जाती है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः विपक्षीगण आराजी नंबर 1111, 1113 तथा 1120/1177 में से प्रार्थीया को आवागमन हेतु 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.06.2023 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 08.11.2023 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उनके अधिवक्ता ने उन्हें नहीं दी, जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित हो गया। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:52 IST
Reason: SelfAttested

पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने अपना अधिवक्ता श्री नरेश जोशी को नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने अपीलान्टगण को हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं होने का कथन किया एवं कहा कि जब जरूरत होगी बुला लेंगे, किन्तु उनके अधिवक्ता ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी, जिससे अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें रास्ता अपीलान्टगण की भूमि को अलग–अलग भागों में बांटते हुए बीच खेतों से प्रस्तावित कर दिया, जबकि नियमानुसार राजस्व भूमि के एक तरफ ही दिया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत कर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिया गया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि रास्ता अपीलान्टगण की आराजियात के मध्य से दिया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 132/2022 में पारित निर्णय 21.06.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टगण/विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:52 IST
Reason: SelfAttested

(...प्रसिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर